भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 755

23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

राजस्थान में अमृत 2.0 की परियोजनाओं की स्थिति

755. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि अमृत 2.0 के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में स्वीकृत पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकायों के पुनरुद्धार और हरित क्षेत्र के विकास से संबंधित कई परियोजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हुई हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत राजस्थान में स्वीकृत, जारी, उपयोग की गई और वर्तमान में लंबित केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार और शहरी स्थानीय निकाय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राजस्थान के कई शहरों में पेयजल पाइपलाइनों, सीवरेज नेटवर्क और सड़कों की खुदाई से संबंधित कार्यों में अत्यधिक देरी के कारण नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस देरी के कारणों की जांच करने तथा संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओ का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। अमृत 2.0 के तहत राजस्थान राज्य ने 11,560.07 करोड़ रुपये (संचालन और रखरखाव लागत सहित) की 363 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें 3,552 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) शामिल है। अनुमोदित परियोजनाओं में 5099.47 करोड़ रुपये की 178 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 5950.85 करोड़ रुपये की 48 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 505.41 करोड़ रुपये की 134 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं और 4.33 करोड़ रुपये की 3 पार्क और हरित क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं।

अमृत 2.0 के तहत निधियों का केंद्रीय हिस्सा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाता है, न कि शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)-वार। राज्य परियोजनाओं की प्रगति के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को निधियाँ वितरित करता है। वित्त वर्ष 2025-26 हेतु, राजस्थान राज्य को अमृत 2.0 परियोजनाओं के लिए 745.12 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी। चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27) के दौरान, परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ रु. की मूल स्वीकृति जारी की गई है, जिनमें से 20.07.2026 तक 104.44 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है।

अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राज्य ने सूचित किया है कि 1428.90 करोड़ रुपये की 109 जलापूर्ति परियोजनाएं, 4656.80 करोड़ रुपये की 42 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं और 443.86 करोड़ रुपये की 129 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है जैसे कि न्यायालयीन मामलों/ स्थानीय सार्वजनिक बाधाओं के कारण भूमि/क्षेत्र के आबंटन में देरी; वन विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)/रेलवे/लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) आदि जैसे विभिन्न विभागों से अनुमति प्राप्त करने में विलंब; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू होने के कारण कार्यान्वयन में विलंब; उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध आदि।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि वह सड़क की खुदाई सहित कार्यों के निष्पादन के दौरान होने वाली अस्थायी असुविधा से अवगत है। इन कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, और उनके निष्पादन को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक प्रयास किए गए हैं। संबंधित एजेंसियों को कार्यों में तेजी लाने और कार्य पूरा होने के बाद सड़कों को पूर्ववत् बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं।
